सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-31
21/01/2016

मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध अभियान का शुभारंभ किया

पटना, 21 जनवरी 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में मद्य निषेध अभियान का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर एक महती सभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि मद्य निषेध अभियान की शुरूआत हो रही है। एक अप्रील 2016 से मद्य निषेध लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसी श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 9 जुलाई 2015 को महिला विकास निगम एवं डी0एफ0आइ0डी0 के ग्राम वार्ता की राज्यस्तरीय कार्यशाला में मैं अपनी बात समाप्त कर अपने जगह पर पहुॅचा ही था कि इसी बीच पीछे कुछ महिलाओं की आवाज आयी, शराब बंद कीजिये। हमने तुरंत उठकर माइक पर कहा कि अगली बार अगर हम सरकार में आये तो शराबबंदी लागू करेंगे। मेरे इस एक वाक्य का असर हुआ कि हम जहॉ कहीं भी चुनाव अभियान या अन्य कार्यक्रमों में जा रहे थे महिलाओं में यह पूर्ण विश्वास था कि हम सरकार में आयेंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराब का अवैध धंधा हो रहा था। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने महसूस किया कि जितने लोग बिहार में देशी एवं विदेशी शराब पी रहे थे, उस अनुपात में सरकार को नहीं के बराबर राजस्व प्राप्त हो रही थी। 2005–06 में हमने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बैठक में मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के कारण हम महसूस कर रहे हैं कि जितने लोग देशी एवं विदेशी शराब पीते हैं, उस हिसाब से राजस्व नहीं आ रहा था। हम वार्ता के क्रम में लोगों से सीख रहे थे। इसके बारिकियों एवं पेचिदगियों को समझ रहे थे। उस समय हमने महसूस किया कि शराब के कारोबार में मोनोपोली है। शराब की मैन्यूफैक्चिरिंग, होल सेल एवं रिटेल बिजनेस में मोनोपोली है। हमने निर्णय लिया कि शराब का होल सेल बिजनेस बिवरेज करेगी। इससे राजस्व में वृद्धि होने लगी। अवैध शराब को रोकने के लिये कुछ ठोस कदम उठाये गये। आज शराब से सरकार को पॉच हजार करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरा में जहरीली शराब से कई मौत हुयी। दुकान पर परचुनिया पाउच के माध्यम से हर जगह लोगों को शराब मिल रहा था। इस प्रकार शराब के अवैध कारोबार चल रहे थे। मैंने शराब के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की। मेरे मन में एक बोझ था कि शराब से सरकार की आय बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शराब पीने के इस कदर आदी हो जाते हैं कि अगर उन्हें शराब न मिले तो वे विक्षुब्ध हो जायेंगे। ज्यादातर लोग शराब के लत को छोड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि शराब के चलते लोग अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं की कमाई को भी शराब में फूॅक दिया जा रहा है। गॉव की महिलायें तबाह हो रही है। जब 9 जुलाई को पीछे से महिलाओं द्वारा शराबबंदी की आवाज आयी तो हमको लगा कि अपना निश्चित समय व्यक्त करने का यह उचित समय है। हमने माइक से कहा कि अगली बार जब हम आयेंगे तो शराब पर प्रतिबंध लगायेंगे। अब जब हम सरकार में आ गये हैं तो जो कहा उसे लागू करेंगे। शराबबंदी की घोषणा हमने चुनाव के पूर्व की थी। चुनाव के पूर्व ही हमने सात निश्चय की बात की थी। जो योजनायें पहले से चल रही है, उसे जारी रखते हुये हम सात निश्चय को लागू कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवम्बर 2015 को मद्य निषेध दिवस के दिन हमने मद्य निषेध की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध दिवस की शुरूआत हमने ही की थी। मद्य

निषेध दिवस के दिन हमने कहा कि नई उत्पाद नीति बनेगी। इसे एक अप्रील 2016 से लागू करेंगे। सारी तैयारी करने के बाद मेरे स्तर पर मद्य निषेध के लिये अनेक बैठकें हुयी। जिस दिन कैबिनेट में मद्य निषेध का निर्णय लिया गया, उस दिन हमने परंपरा को तोड़कर कैबिनेट के निर्णय के बारे में मीडिया को बताया। प्रारंभ में ही हमने एक–एक चीज बता दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे लेकिन चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। हमने जो बातें कही है, उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं हुयी है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहॉ छोआ से स्प्रिट बनता था और स्प्रिट से देशी शराब तैयार की जाती थी। हमने चीनी मिल मालिकों को कहा कि अब स्प्रिट नहीं एथनॉल बनाइये। भारत सरकार का यह प्रावधान है कि पेट्रोल एवं डीजल में दस प्रतिशत तक एथनॉल मिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध का निर्णय पूर्ण विचारोपरान्त ही किया गया। दिसम्बर 2015 में ही सारे निर्णय ले लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई शराब का अवैध धंधा कर रहा है तो हम अपने सारे जिले के आरक्षी अधीक्षकों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। अगर किसी तरह की कहीं गड़बड़ी होती है तो यह थाना को मालूम रहता है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोगों की अवधारणा क्या है, यह मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे पुलिस पदाधिकारी जान लें कि वे अब गड़बड़ नहीं करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिये सेन्टर बनाया जा रहा है। कोई भी गॉव से फोन कर अवैध शराब के कारोबार की जानकारी दे सकता है। बिहार की आबादी ग्यारह करोड़ की है और बिहार में छह करोड़ मोबाइल है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार की खबर अगर डी0जी0पी0 को तुरंत मिल जाती है, उसके बाद थानेदार का क्या हश्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार निर्णय ले लिया कि शराबबंदी होगी तो शराबबंदी होगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में डी0 एडिक्शन सेन्टर खोला जायेगा। कुछ लोगों को शराब पीने की लत काउंसलिंग से दूर हो जायेगी। कुछ लोगों पर शराब की लत छुड़ाने के लिये दवाब देनी पड़ेगी। कुछ लोग शराब पीये बिना रह नहीं सकता है। उसकी लत ऐसी हो जाती है कि अगर वह शराब नही पीयेगा तो उसकी मृत्यु हो जायेगी। मेडिकल कारणों से उसे पीने की अनुमति देनी पड़ेगी। आमतौर पर डी0 एडिक्शन सेन्टर बहुत कारगर होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई चीज हमलोग छोड़ नहीं रहे हैं, हर पहलू पर गौर कर रहे हैं। इस संबंध में सारे कार्यों का निष्पादन सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम एवं नगर परिषद के शहरों में ही विदेशी शराब की बिक्री बिवरेज के द्वारा होगी। अगले चरण में विदेशी शराब की बिक्री भी बंद हो जायेगी। उन्होंने कहा कि मैं हर बात का स्वागत करता हूॅ लेकिन सुझाव व्यावहारिक होना चाहिये तथा लागू करने लायक होना चाहिये। विदेशी शराब को भी अगले चरण में बंद किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मजदूरी गैर कानूनी है। कुछ लोग बच्चों को शराब पिलाकर काम करवा रहे हैं। हमने उतर प्रदेश, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि सीमावर्ती जिलों को टाइट किया जाय ताकि दूसरे राज्य से शराब बिहार के अंदर न आ सके। बिहार के अंदर तो कड़ा प्रतिबंध रहेगा ही। उन्होंने कहा कि विदेशी शराब की बिक्री हम निजी हाथों में नहीं दे रहे हैं। विदेशी शराब का होल सेल के बाद रिटेल का भी बिक्री बिवरेज के द्वारा होगा। उसकी निगरानी होगी, हर बिक्री केन्द्र पर सी0सी0टीवी लगाया जायेगा। बिक्री केन्द्र को बंद करना होगा तो दो मिनट में बंद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब बिक्रेता अगर इच्छुक होंगे तो उनके लिये सुधा दूध का बूथ खोलवा देंगे। सुधा का ब्राण्ड है, बहुत लोकप्रिय है। इसकी दुकानें कम हैं तथा इसके उत्पाद एवं सुधा दूध की मॉग है। शराब के बदले शराब बिक्रेता दूध एवं सब्जी बेचें। सरकार हर तरह से मदद करने के लिये तैयार है। उन्होंने मीडिया बंधुओं से अनुरोध किया कि मद्य

निषेध अभियान में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमने तो वही किया है, जो जन आकांक्षा है। सबका सहयोग चाहिये, जन–जन का सहयोग चाहिये। उन्होंने कहा कि पहले चरण में देशी शराब बंद होगा। अगले चरण में विदेशी शराब बंद होगा। मीडिया भी तय कर ले कि वे शराबबंदी के पक्ष में हैं कि शराबखोरी के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि हमलोगों का संकल्प है, जो नई उत्पाद नीति में स्पष्ट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के लिये एक बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। यह मद्य निषेध अभियान है, इसे हम सामाजिक आन्दोलन का रूप देना चाहते हैं। स्वयंसेवी संगठन, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह एवं महिलायें फोन करेंगी तो कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि महिलायें जरूरत पड़ने पर अवैध शराब भट्ठी को तोड़ें। मद्य निषेध अभियान को जन–जन तक पहुॅचायें। एक अप्रील 2016 तक अभियान चलाकर लोगों तक मद्य निषेध की बात पहुॅचाई जायेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बात हमने मान लिया और शराबबंदी लागू कर रहे हैं और पूरे मनोयोग से शराबबंदी लागू कर रहे हैं। महिलाओं को भी पूरे मनोयोग से शराबबंदी को लागू करने में सहयोग करना होगा। बगैर जन सहयोग एवं जन चेतना के पूर्णरूपेण हम शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध अभियान में पुलिस करेगी मदद। शराब के अवैध कारोबारियों की अब खैर नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा के दौरान बेगूसराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण के क्रम में हमने पूछा कि किस दवा की सबसे ज्यादा मॉग है तो हमें बताया गया कि कप सिरप की। हमने डॉक्टर से पूछा कि कप सिरप की मॉग क्यों है तो डॉक्टर ने कहा कि कप सिरप में अलकोहल है। मरीज कहते हैं कि कप सिरप ही लिखिये नहीं तो हम आपके विरूद्ध शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी बाधायें आयेगी। इन बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध अभियान में महिलाओं पर पूरा भरोसा है। पुरूषों पर भी पूरा भरोसा है। यह अभियान तभी रंग लायेगा, जब बिहार में रंग वाला पेय (शराब बंद हो जायेगा) बंद हो जायेगा।

मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध से संबंधित टेलिफिल्म को लॉच किया तथा श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं श्रोताओ को शराब नहीं पीने तथा मद्य निषेध अभियान में पूर्ण सहयोग करने का संकल्प दिलाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावे निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान, शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर ने भी सभा को सारगर्भित ढ़ंग से संबोधित किया। प्रधान सचिव शिक्षा श्री डी0एस0 गंगवार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस अवसर पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री आर0के0 महाजन, प्रधान सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध श्री के0के0 पाठक, सचिव ग्रमीण विकास श्री अरविन्द चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा सहित संबंधित पदाधिकारी, जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की दीदीयॉ, टोला सेवक, तालिमी मरकज एवं बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति तथा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

******